रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092023-248640
CG-DL-E-11092023-248640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2023/भाद्र 20, 1945
No. 520] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023/BHADRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2023

संख्या 09/2023- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 661(अ).—जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) और जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 8708 70 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 सितम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 877(अ), दिनांक 13 सितंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 7/2/2023-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2023, जिसे 12 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा को शुरू किया था।

और जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/2/2023-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2023, जिसे 12 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि:-

(क) यदि प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाता है तो विषयगत वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित मूल्य पर पहुंचने लगेंगी;

(ख) निर्यात मूल्य के साक्ष्य से पता चलता है कि अधिक डंप और कम कीमत पर चीन के निर्यातक तृतीय देशो को माल निर्यात कर रहे हैं।

(ग) भारतीय उद्योग को मौजूदा शुल्कों के बढ़ाने पर कोई अनुचित लाभ नहीं मिलता।

(घ) भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और शुल्क जारी रहने से उपयोगकर्ता किसी आवश्यकता से वंचित नहीं रहेगा।

उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सभी संबंधित आयात पर 05 वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपाटन शुल्क की दर को जारी रखने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 877(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

सारणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	निर्यातक	(8)	(9)	(10)
1.	8708 70	फ्लैट बेस स्टील व्हील्स्, 16 इंच से 20 इंच तक के मामूली व्यास वाले	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2.	8708 70	फ्लैट बेस स्टील व्हील्स्, 16 इंच से 20 इंच तक के मामूली व्यास वाले	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	8708 70	फ्लैट बेस स्टील व्हील्स्, 16 इंच से 20 इंच तक के मामूली व्यास वाले	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	613.00	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

[फा. सं. 190354/163/2023-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2023

No. 09/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 661(E).—Whereas, the designated authority vide notification No.7/02/2023- DGTR, dated the 12th June, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th June, 2023, had initiated the review in term of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Flat Base Steel Wheels' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the sub-heading 8708 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 46/2018- Customs (ADD), dated the 13th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 877(E), dated 13th September, 2018.

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published vide notification No. F. No. 7/02/2023- DGTR, dated the 12th June, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th June, 2023 has come to the conclusion that :-

a) the subject goods are likely to enter the Indian market at dumped prices, if the anti-dumping duties in force cease to operate;

b) the evidence of export price indicates that the Chinese exporters are exporting the goods to third countries at significant dumped and injurious prices;

c) the Indian industry does not gain any undue advantage on extension of existing duties;

d) there is healthy competition in the Indian market and continuation of the duties would not deprive the user industry of any requirements;

and has recommended continued imposition of anti-dumping, for a period of five years concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of notification No. 46/2018-Customs (ADD) dated 13th September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* G.S.R. 877(E) dated 13th September, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government , on the basis of the aforesaid final findings and recommendations of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the amount specified in the corresponding entry in column (8), as per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (9) in the currency specified in the corresponding entry in column (10) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Sub heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount of duty	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	8708 70	Flat Base Steel Wheels of nominal diameter 16” – 20”	China PR	China PR	Any	Any	613.00	MT	US$
2	8708 70	Flat Base Steel Wheels of nominal diameter 16” – 20”	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	613.00	MT	US$
3	8708 70	Flat Base Steel Wheels of nominal diameter 16” – 20”	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	613.00	MT	US$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

[F. No. 190354/163/2023-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.11 21:30:34 +05'30'